विषाक्त खेती: कीटनाशक विनियमन

साभार : द हिन्दू **16 अक्टूबर, 2017**

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (**भारतीय अर्थव्यवस्था**) के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत को किसानों की रक्षा के लिए कीटनाशक बिक्री और उपयोग को मजबूत विनियमन की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र के यवतमाल में कॉटन के फसल में कीटनाशक के उपयोग करने के कारण मरने वाले किसानों के सन्दर्भ में जारी की गयी रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि सरकार कृषि के क्षेत्र में इस्तेमाल किए गए जहरीले रसायनों को विनियमित करने के प्रयासों में बुरी तरह विफल रही है। गंभीर कीट के हमलों की स्थिति में कपास उत्पादकों द्वारा अपने निवेश की रक्षा के लिए कीटनाशकों का अधिक से अधिक मात्रा पर भरोसा करना मजबूरी बन गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से कई उच्च स्तर पर जहर के संपर्क में आये, जिसके कारण उनकी मौत हो गई।

तथ्य यह है कि उन्हें मुख्य रूप से बेईमान एजेंटों की सलाह पर और कृषि विस्तार अधिकारियों की बजाय कीटनाशकों के लिए वाणिज्यिक दुकानों पर भरोसा करना पड़ता है, जो सरकार की ओर से अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना दिखाता है। लेकिन यह समस्या बहुत गंभीर है। भारत में कीटनाशकों के विनियमन की प्रणाली अप्रचलित है और यहां तक कि यूपीए सरकार द्वारा शुरूआत में सुधार पर कमजोर प्रयासों की वजह से मार्गों में गिरावट आई है।

वर्ष 2008 में शुरू की गई एक नई कीटनाशक प्रबंधन विधेयक पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा अध्ययन किया गया था, लेकिन यह अभी भी लंबित है। इसी समय, इस बात का भी सबूत है कि आज किसानों को मिलने वाली बड़ी मात्रा में कीटनाशक नकली हैं और ऐसे नकली असली उत्पादों की तुलना में उच्च विकास दर का आनंद ले रहे हैं। जाहिर है, पूरे देश में इस्तेमाल किए गए कीटनाशकों की प्रकृति में उच्च स्तर की जांच की आवश्यकता है और यह नियामक प्रणाली की विफलता है। यह 2003 की संयुक्त संसदीय समिति के समान होना चाहिए जो पेय पदार्थों में हानिकारक रासायनिक अवशेषों की जांच कर रहे थे और सहिष्णुता सीमा की स्थापना की सिफारिश की थी।

यह विसंगत है कि केंद्र कीटनाशकों के नियमन में सुधार की आवश्यकता को समझने में असफल रहा है, जबकि यह कृषि उत्पादन और निर्यात दोनों में वृद्धि पर केंद्रित है। सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करने में नाकाम रहने के लिए भारत से कृषि उत्पादों, जिनमें फल और सब्जियां शामिल हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयात प्रतिबंधों के अधीन हैं। यह जरूरी है कि 2008 में प्रस्तावित कानून के तहत कीट कीटनाशकों के उपयोग और निपटान पर सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड का गठन किया जाए। इससे विषाक्त रसायनों के पंजीकरण, वितरण और बिक्री का निरीक्षण किया जा सकेगा।

1968 के अप्रचलित कीटनाशक अधिनियम को अद्यतन करने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। एक मजबूत कानून मौजूदा नियमों में व्याप्त कमियों को समाप्त कर देगा जो प्रवर्तन को लागू करेगी और इसके नियमों के उल्लंघन पर दंड भी देगी। स्वास्थ्य की देखभाल में उपयोग किए जाने वाले खाद्य सुरक्षा कानूनों और उत्पादों के साथ नए कीटनाशकों के विनियामक ढांचे को संरेखित करने से यह व्यापक आधार पर आधारित होगा। हाल की मौतों के बाद, महाराष्ट्र के अधिकारियों ने कीटनाशक के उपयोग की वृद्धि और तीव्रता की व्याख्या के लिए कीटों को बंद करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास के कुछ संकरों की प्रभावकारिता के नुकसान होने का संकेत दिया है।

जिम्मेदार पाठ्यक्रम कारणों का समुचित आकलन करना होगा। यह भी एक विडंबना है कि केंद्र अपने विशाल संचार ढांचे का उपयोग करने में नाकाम रहा है, जिसमें डीडी किसान भी शामिल है, यह दूरदर्शन से उपग्रह टेलीविजन चैनल कृषि को समर्पित है, जो परेशान किसानों को संबोधित करता है। एक फॉरवर्ड-दिखने वाली कृषि नीति जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करती है और जैविक तरीकों को प्रोत्साहित करती है, जहां वे प्रभावकारी हैं। इससे किसान और उपभोक्ता दोनों को फायदा होगा।

इससे संबंधित तथ्य

क्या है पूरा मामला

- महाराष्ट्र में कीटनाशकों के छिड़काव से अब तक 34 किसानों की मौत हो चुकी है। ये मौतें राज्य के विदर्भ क्षेत्र में हुई हैं। अकेले यवतमाल जिले में ही 19 किसानों की मौत हो चुकी है। कीटनाशकों के इस प्रभाव से करीब अब तक करीब 450 किसान प्रभावित हो चुके हैं।

कीटनाशकों की जरूरत

- जिन किसानों की मौत हुई है, उनके शरीर में ऑस्टोपोफोरस नाम का जहरीला तत्व पाया गया है। दरअसल विदर्भ क्षेत्र में किसान बीटी कपास, सोयाबीन और अरहर की खेती करते हैं। जुलाई के महीने में ये फसलें बड़ी हो जाती हैं, ऐसे में इनमें कीटनाशकों की जरूरत होती है।

किसानों की गलती

- कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां इनसे खुद के बचाव के बारे में पैकेट पर छापती हैं, लेकिन कुछ किसान पढ़े लिखे न होने के कारण इसे नहीं पढ़ पाते हैं और वह इसके दुष्प्रभाव का शिकार हो जाते हैं। बड़ी बात यह है कि सरकार की ओर से इन किसानों को कीटनाशकों के प्रभाव से बचने की कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है।

चीनी पंपो पर सरकार की रोक

- सरकार ने खबर के सामने आने के बाद उन चीनी पंपो पर अब रोक लगा दी है, जिनका प्रयोग अब तक कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इन पंपो से छिड़काव करते वक्त धुएं का गुबार बन जाता है, जो नाक से अंदर जाकर शरीर को नुकसान पंहुचाता है।

आर्गेनोफॉस्फोरस का इस्तेमाल

- इन कीटनाशकों में आर्गेनोफॉस्फोरस नाम का जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है और ये वही केमिकल है, जिसका प्रयोग हिटलर ने यहूदीयों के नरसंहार के दौरान किया था। ये मुद्दा रासायनिक खेती से जुड़ा हुआ है, जिसे खत्म करना जरूरी है।
- 34 किसानों की मौत के बाद अब जाकर महाराष्ट्र सरकार जागी है और एसआईटी गठित करके जांच करने का आदेश दिया गया है। हालांकि किसानों को शरीर को कीटनाशकों से बचाने के लिए कपड़े बांटे जा रहे हैं। फिलहाल कीटनाशक छिड़काव का सीजन खत्म हो चुका है।

किसानों को कब दी जाएगी हानिकारक कीटनाशकों से बचाव के लिए ट्रेनिंग

- सरकार ने कीटनाशक सप्लाई करने वाले कृषि केंद्रों पर भी कार्रवाई की है, लेकिन सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि जब हमारी पूरी कृषि व्यवस्था ही रासायनिक खेती पर आधारित है तो महज कुछ कृषि केंद्रो पर कार्रवाई करके क्या हासिल होगा? साथ ही किसानों को हानिकारक कीटनाशकों से बचाव के लिए ट्रेनिंग कब दी जाएगी ताकि वो असमय मौत से बच सकें।

एकीकृत कीट प्रबंधन

- खतरनाक रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करने और कीट-पतंगों, विनाशकारी कीटों और बीमारियों के हमलों से बचने तथा फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय ने कृषि और सहकारिता विभाग के जरिए 1991-92 से 'भारत में कीट प्रबंधन के लिए मजबूत और आधुनिक दृष्टिकोण' नाम की एक योजना लागू की।
- इसके लिए आधारभूत सिद्धांत के रूप में एकीकृत कीट प्रबंधन और संपूर्ण फसल उत्पादन कार्यक्रम में पौधा संरक्षण रणनीति को अपनाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय ने 28 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में 31 केन्द्रीय आईपीएम केन्द्र स्थापित किए।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन बनाया गया, जिसके अंतर्गत 2014-15 में एक पौधा संरक्षण और पौधों को रोगों से बचाने के लिए एहतियाती उपाय उपमिशन की शुरूआत की गई।

कीटनाशक अधिनियम, 1968 का कार्यान्वयन

- 1971 में कीटनाशक नियम और उसके योजना घटकों को बनाए कीटनाशक अधिनियम, 1968 के कार्यान्वयन की योजना आरम्भ हुई जिसमें शामिल गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं अब भी जारी हैं।
- यह अधिनियम कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, उन्हें लाने-ले जाने, वितरण और उनके इस्तेमाल को नियंत्रित करता है, ताकि इससे मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण को होने वाले खतरे को रोका जा सके और किसानों के लिए गुणवत्ता पूर्ण कीटनाशकों और जैव कीटनाशकों की उपलब्ध और सुनिश्चित की जा सके।
- किसानों को सलाह दी जाती है कि वे विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद लाइसेंसधारी कीटनाशक डीलरों से कीटनाशक खरीदें और मुहर और हस्ताक्षर युक्त रसीद मांगें, जिस पर कीटनाशक का बैच नंबर, निर्माण/समाप्ति की तारीख लिखी हो।
- खरीदने से पहले उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित कर ले कि कंटेनर पर निर्माता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई हो। कीटनाशक को खाने-पीने की वस्तुरओं के साथ नहीं रखा जाए।

संभावित प्रश्न

प्र.: हाल ही में महाराष्ट्र में कीटनाशक के उपयोग करने के कारण कई किसानों की मौत हो चुकी है। यह किसानों में जानकारी का अभाव, इनकी दयनीय स्थिति और इनके प्रति सरकार के गैर-जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। इस कथन के सन्दर्भ में सरकार द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

Q.: Recently, many farmers have died due to the use of pesticides in Maharashtra. This shows the lack of information in the farmers, their miserable situation and the irresponsible attitude of the government towards them. In relation to this statement, what steps should the government take for the betterment of the farmers? Discuss. (200 words)

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322